चीनी स्टॉक बेच बकाया चुकाने का दिया निर्देश

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 13 अगस्त

- उच्चतम न्यायालय ने हर हफ्ते 5 फीसदी चीनी भंडार बेचने का दिया निर्देश
- तीन हफ्तों तक होगी चीनी स्टॉक की बिक्री
- चीनी बेचने के लिए 3100 रुपये प्रति टन आधार मूल्य किया तय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को उनके चीनी भंडार बेचने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेशानुसार चीनी मिलों को अगले तीन सप्ताह तक हरेक सप्ताह उनके जमा चीनी भंडार का 5 फीसदी हिस्सा बेचना है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।

न्यायालय ने चीनी की बिक्री के लिए आधार मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। चीनी बिक्री से मिलने वाली रकम का 30 फीसदी हिस्सा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में जाएगा जबकि शेष 70 फीसदी रकम के बारे में अदालत बाद में फ़ैसला करेगी।

उत्तर प्रदेश में 95 चीनी मिलों के पास करीब 2.98 करोड़ टन चीनी का भंडार (बिना बिके) है। इस तरह मिलों को हर हफ्ते 1,49,000 टन चीनी बेचनी होगी जिससे तय आधार मूल्य के अनुसार उन्हें 462 करोड़ रुपये मिलेंगे।

हालांकि अपेक्षाकृत मंद बाजार में चीनी मिलों के लिए इतनी बड़ी मात्रा में चीनी बेचना आसान नहीं होगा। इस समय निजी चीनी मिलों पर मौजूदा सत्र में 5,000 करोड़ रुपये बकाया है। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वी एम सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। इस बीच, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चीनी मिलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। बकाया भुगतान में अक्षम रहने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 60 प्राथमिकी दर्ज की है और 52 मिलों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए हैं।

Business Std
14/8/14